छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण कमांक : M-PRO-2018-00138

श्रीमती पियाली पैथ विरूद्ध गुडलक ग्लोबल प्रा.लि. एवं अन्य 1, रायपुर

प्रोजेक्ट–गुडलक सिटी, सेजबहार, रायपुर

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
12/12/2018.	– प्रकरण प्रस्तुत। – प्रकरण में उभय पक्ष उपस्थित। – प्रकरण का अवलोकन व परिशीलन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक के अनुसार उसके द्वारा अनावेदक के ग्राम–सेजबहार, रायपुर (छ.ग.) स्थित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट "गुडलक सिटी" में भूखण्ड क्रमांक–230 क्रय करने हेतु दिनाँक 30.03.2014 को विक्रय इकरारनामा निष्पादित किया गया था। आवेदक का कथन है कि उसके द्वारा अनावेदक को अब तक कुल रूपये 15,81,000/– का भुगतान किया जा चुका है। आवेदक ने यह भी कथन किया है कि उक्त सौदे की शर्तों के अनुसार अनावेदक को दो वर्षों के भीतर प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट में समस्त सुविधाओं सहित निर्माण पूर्ण कर भूखण्ड का आबंटन करना था। किन्तु अब तक अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट में समस्त विकास कार्य पूर्ण नहीं किए गए हैं। आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूखण्ड हेतु अनावेदक को दी गई सम्पूर्ण राशि ब्याज सहित वापस दिलाये जाने का अनुरोध किया है। – प्रस्तुत प्रकरण में अनावेदक को आहूत कर उन्हें पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। अनावेदक ने अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर आवेदक को भुगतान की गई संपूर्ण राशि आपसी रजामंदी से वापस लौटाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की। जिसे आवेदक ने भी प्राधिकरण के समक्ष स्वीकार किया। – अनावेदक द्वारा दिनाँक 07.12.2018 को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर कथन किया गया कि उभय पक्षों के मध्य आपसी सहमति से प्रश्नाधीन प्रकरण का निराकरण किया जा चुका है। अनावेदक द्वारा, आवेदक को प्रश्नाधीन भूखण्ड हेतु उससे प्राप्त राशि के एवज में कुल रूपये 18,25,000/– वापस किये जाने हेतु नवीन अनुबंध निष्पादित करते हुए इसकी छायाप्रति भी प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार अनावेदक को रूपये	

छत्तीसगढ़ भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : M-PRO-2018-00138

श्रीमती पियाली पैथ विरूद्ध गुडलक ग्लोबल प्रा.लि. एवं अन्य 1, रायपुर

प्रोजेक्ट–गुडलक सिटी, सेजबहार, रायपुर

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	6,00,000/– का भुगतान आवेदक द्वारा किया जा चुका है। शेष राशि रूपये 12,25,000/– हेतु अनावेदक द्वारा, आवेदक को निम्नानुसार पोस्ट डेटेड चेक्स उपलब्ध कराए गए हैं। अनावेदक ने इन चेक्स की छायाप्रति भी प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की है।	

चेक क्रमांक	दिनाँक	राशि
चेक क्रमांक–000197	25.02.2019	6,00,000/–
चेक क्रमांक–000198	26.02.2019	6,25,000/–
	कुल	12,25,000/–

– आवेदक ने भी उक्त सम्पूर्ण राशि वापस प्राप्त होने तथा प्रस्तुत शिकायत पर कोई अन्य कार्यवाही नहीं चाहने के संबंध में प्राधिकरण के समक्ष सहमति व्यक्त की।

– प्रस्तुत विचाराधीन प्रकरण में आवेदक को उसके द्वारा भुगतान की गई सम्पूर्ण राशि वापस प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता न होने से प्रकरण समाप्त कर निराकृत किया जाता है।

– प्रकरण नस्तीबद्ध करते हुए अभिलेखागार भेजा जावे।

Adv. for Complainant 12.12.2018

12-12-18

(नरेन्द्र कुमार असवाल)
सदस्य
भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर

(राजीव कुमार टम्टा)
सदस्य
भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर

(विवेक ढाँड)
अध्यक्ष
भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण ★ रायपुर ★